।। कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ।।

क्रमांक : स्था/13/2025/3323 दिनांक 20 JAN 2025

: : आ दे श : :

राज्य सरकार द्वारा प्रचलित पदोन्नति नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नांकित कर्मचारीगण को उनके दिनांक 06.07.2010 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उन्हें लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिये जाने से वंचित किया गया था।

राजस्थान सरकार कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.3(33)डीओपी/ए–2/85 पार्ट दिनांक 24.09.2024 द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियम 14 में किये गये संशोधित प्रावधानानुसार इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा/रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 के अनुसार, लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2017 के तहत पे–मैट्रिक्स L-5 में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 के अनुसार पदोन्नत किया जाता है :–

क्र. सं.	पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिक का नाम	पदोन्नति पर देय लेवल	वर्तमान पदस्थापन	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार शर्मा, च0श्रे0कर्म0	L-5	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	श्री राजेश कुमार शर्मा की नोशनल पदोन्नति दिनांक 01.04.2024 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथी से देय होगे।
2	श्री राजेश कुमार शर्मा, च0श्रे0कर्म0	L-5	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, किशनगढबास	श्री राजेश कुमार शर्मा की नोशनल पदोन्नति दिनांक 01.04.2024 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथी से देय होगे।
3	श्री यादवेन्द्र, च0श्रे0कर्म0	L-5	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर	श्री यादवेन्द्र की नोशनल पदोन्नति दिनांक 01.04.2024 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथी से देय होगे।

नोट :– 1– उपरोक्त कार्मिकों की वरिष्ठता इस आदेश में दर्शाये गये क्रम के अनुसार होगी।

2– यदि उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इन्हें किसी भी समय इनके मूल पद पर पदावनत किया जा सकेगा।

3– उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आगामी 6 माह में कम्प्यूटर पर टंकण गति की निर्धारित दक्षता प्राप्त करें। 6 माह पश्चात इनकी कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा किसी भी समय ली जा सकती है। टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर इन्हें अपने मूल पद पर पदावनत कर दिया जावेगा।

4— पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जावेंगे।

5— पदोन्नत कार्मिक द्वारा पदस्थापन आदेश की पालना में नवपदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, आगामी आदेश तक अपने मूल पदस्थापन/कार्यव्यवस्था कार्यालय में अपने पूर्व पद (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का कार्य पूर्ववत किया जावेगा।

6— उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

कमांक : स्था/2025/3324-32 दिनांक 20 JAN 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, किशनगढबास
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ
3. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
4. नाजिर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
5. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई—मेल करने हेतु।

20/1/25
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र